कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 164/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 01.05.2026

प्रेस नोट, दिनांक– 01.05.2026

थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़

☐ कोडीन कफ सिरप से खड़ा साम्राज्य ढहा, विकास सिंह "नरवे" की ₹50.9 लाख की अवैध संपत्ति जब्त

☐ एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई, ई-कोर्ट के आदेश पर मकान व फ्लैट बुकिंग धनराशि फ्रीज/जब्त

☐ अवैध कमाई से गांव में बनाया मकान, लखनऊ में लगाई करोड़ों की प्रॉपर्टी में रकम

☐ साइबर क्राइम पुलिस की सटीक विवेचना से उजागर हुआ अवैध संपत्ति का नेटवर्क

☐ अपराध से अर्जित संपत्तियों पर पुलिस का लगातार प्रहार, अपराधियों में दहशत

आजमगढ़। **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार** के निर्देशन में तथा **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री चिराग जैन** के कुशल पर्यवेक्षण में जनपद में अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए **कोडीन कफ सिरप** प्रकरण में अभियुक्त की **अपराध से अर्जित लगभग 50.9 लाख रुपये की संपत्ति** को सीज/फ्रीज कराया गया है।

थाना दीदारगंज पर पंजीकृत **मु0अ0सं0 319/25 धारा 318(4), 336(3), 340(2), 206, 276 बीएनएस व 8C, 21C, 26D, 29, 27A एनडीपीएस एक्ट** की विवेचना प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना साइबर क्राइम द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि **अभियुक्त विकास सिंह नरवे पुत्र नरसिंह निवासी ग्राम नरवे, थाना दीदारगंज/बरदह, जनपद आजमगढ़** द्वारा अपराध से अर्जित धनराशि से अपने पैतृक ग्राम स्थित भूमि पर मकान का निर्माण कराया गया है, जिसकी अनुमानित लागत **लगभग ₹27,25,393/-** है।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा **शालीमार लेकसिटी प्रा0 लि0 के प्रोजेक्ट Marvella GH-18, Shalimar One World, बाघामऊ, गोमती नगर एक्सटेंशन, लखनऊ में एक आवासीय फ्लैट (कुल कीमत लगभग ₹1,61,00,000/-) बुक कराया गया, जिसके लिए ₹23,64,978/- अग्रिम धनराशि** के रूप में जमा की गई थी।

उक्त तथ्यों के आधार पर एनडीपीएस एक्ट की **धारा 68F(2)** के अंतर्गत फ्रीजिंग ऑर्डर की कार्यवाही की गई। संबंधित नोटिस एवं प्रपत्र विभागीय ई-कोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर याचिका प्रस्तुत की गई। Competent Authority and Administrator SAFEM (FOP) Act & NDPS Act, New Delhi द्वारा सुनवाई उपरांत आदेश पारित करते हुए अभियुक्त की उक्त संपत्तियों पर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।

जब्त की गई संपत्तियाँ:-

➡ पैतृक ग्राम स्थित भूमि पर निर्मित मकान (अनुमानित लागत ₹27,25,393/-)

➡ लखनऊ स्थित आवासीय फ्लैट Shalimar Corp के प्रोजेक्ट Marbella में बुकिंग हेतु जमा ₹23,64,978/- (कंपनी खाते में फ्रीज)

अभियुक्त का विवरण:-

01. विकास सिंह नरवे पुत्र नरसिंह निवासी ग्राम नरवे, थाना दीदारगंज/बरदह, जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 319/25 धारा 318(4), 336(3), 340(2), 206, 276 बीएनएस व 8C, 21C, 26D, 29, 27A एनडीपीएस एक्ट, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ ।

आपराधिक इतिहास का विवरण:-

01. मु0अ0सं0 106/2023 धारा 465,468 भादवि व 66 डी आईटी एक्ट व 13 जुआ अधिनियम थाना कोतवाली, जनपद जौनपुर ।

02. मु0अ0सं0 235/2025 धारा 314(4),336(3),338,340(2),61(2) बीएनएस व 21,26(D), 27(A),29,8 स्वापक औषधि व मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम थाना काशी(कमिश्नरेट वाराणसी) जनपद वाराणसी ।

03. मु0अ0सं0 319/25 धारा 318(4), 336(3), 340(2), 206, 276 बीएनएस व 8C, 21C, 26D, 29, 27A एनडीपीएस एक्ट, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह, थाना साइबर क्राइम, जनपद आजमगढ़ मय टीम

जनपद पुलिस द्वारा अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही आगे भी निरंतर जारी रहेगी।